(c) There is no proposal. The Central Schools are primarily set up for the benefit of transferable Central Government employees including defence personnel.

Statement

Location of 19 Kendriya Vidyalayas (Central Schools) functioning in Bihar

1. Dhanbad
2. Dinapore Cantt.
3. Bokaro Steel City.
4. Gaya.
5. Jawahar Nagar.
6. Patna.
7. Hinoo, Ranchi.
8. H. E. C. Ranchi.
9. Ramgarh Cantt.
10. Jamalpur.
11. Singharshi.
12. Bhurkunda.
13. Ghatshila.
14. Barauni.
15. Meghaturuburu Iron Ore Project, Kiriburu.
16. Amjhore (Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd.,).
17. HEC Ranchi (2nd School).
18. Bokaro (Bokaro Steel Ltd.).
19. Barauni Refinery Township (Indian Oil Corporation Ltd.).

Foodgrains with F.C.I. at Madras

5537. SHRI YADVENDRA DUTT: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether 22.5 million tonnes of foodgrains are lying with the Food Corporation in Madras;

(b) whether it is properly stored or lying in the open; and

(c) whether this stock is for repayment of the wheat loan to the Government of U.S.S.R.?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). No, Sir. Only 0.35 million tonnes of foodgrains are stored in Madras including Avadi, Sholavaram, Egmore and Harbour. The total quantity of foodgrains held by the Food Corporation of India in the South Zone is about 3.2 million tonnes. Out of this about 1.9 million tonnes is stored in covered storage accommodation and the balance in CAP storage. Adequate arrangements have been made to the extent possible to minimise damage to the grains stored under CAP.

(c) The quantities of wheat to be shipped from different Indian Ports including Madras, would be decided after an agreement has been reached in principle to return the wheat loan in the form of wheat to U.S.S.R.

पेराल कोट क्षेत्र में बसाये गये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

5538. **श्री सुभाष आहूजा :**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंडकारण्य योजना के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान से आये 6500 विस्थापित व्यक्तियों को पेरालकोट क्षेत्र में दंडकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा बसाया जाना है ;

(ख) क्या डी० डी० ए० द्वारा जो भी भूमि तैयार की जाएगी उसमें से 25 प्रतिशत भूमि स्थानीय आदिवासियों को आवास के आवंटित करने का प्रावधान है;

(ग) इस क्षेत्र में कितने आदिवासियों को बसाया जा चुका हैं तथा क्या दिए गए आश्वासन के अनुसार ये बसाये गये परिवारों में से 25 प्रतिशत स्थानीय आदिवासी हैं;

(घ) वहां अभी कितने आदिवासी परिवारों को बसाया जाना हैं और उन्हें कब तक बसाया जाएगा;

(ङ) क्या आदिवासी परिवारों को वही सुविधायें उपलब्ध हैं जो विस्थापित व्यक्तियों को उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार इस भेदभाव को दूर करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) मई, 1977 के अन्त तक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के 7,663 परिवार दण्डकारण्य परियोजना के परलकोट क्षेत्र में पुनर्वास स्थलों पर थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). आदिवासियों को बसाने के लिए उद्धार की गई भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि के आवंटन का आधार परिवारों की संख्या से सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि उद्धार की गई भूमि से सम्बन्धित है । दण्डकारण्य परियोजना के मध्य प्रदेश में आने वाले परलकोट और कोंडागांव जोनों में 31 मार्च, 1971 तक उद्धार की गई कुल 59,576 एकड़ भूमि में से राज्य सरकार को आदिवासियों को बसाने के लिए 14,894 एकड़ भूमि दी जानी थी । इसके विपरीत आदिवासियों को बसाने के लिए 9945 एकड़ भूमि उपलब्ध की गई है । शेष भूमि नहीं दी जा सकी क्योंकि परलकोट क्षेत्र में बसाने के लिए राज्य सरकार के पास भूमिहीन आदिवासी नहीं थे । मध्य प्रदेश की बीजापुर तहसील में 2400 एकड़ भूमि के उद्धार के लिए 18.24 लाख रुपए की लागत की एक योजना मंजूर कर दी गई है । राज्य सरकार को यह भी विकल्प दिया गया है कि यदि उसके पास बसाने के लिए कोई भूमिहीन आदिवासी नहीं हैं तो राज्य सरकार भूमि उद्धार लागत के बराबर धनराशि ले सकती हैं ।

दण्डकारण्य परियोजना द्वारा उद्धार की गई 25 प्रतिशत भूमि पर आदिवासियों को बसाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की ही है । दण्डकारण्य परियोजना द्वारा दी गई भूमि पर बसाये गये आदिवासी परिवारों की संख्या के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है और न ही यह बताया गया है कि उनके बसाने में कितना समय लगेगा परन्तु पहले दी गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 7,554 एकड़ भूमि पर 858 आदिवासी परिवारों को बसाया गया था । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के परामर्श से दण्डकारण्य परियोजना द्वारा परलकोट में 292 आदिवासी परिवारों को भी बसाया गया है ।

(ङ) भूमि और भूमि उद्धार की लागत के अतिरिक्त दण्डकारण्य परियोजना द्वारा गृह निर्माण, बैलों की खरीद, बीज और कृषि के औजार, मेंड बन्दी आदि के लिए 2850 रुपए प्रति परिवार की दर से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता भी दी जाती है । आदिवासी परिवारों को दी जा रही वित्तीय सहायता विस्थापित व्यक्तियों को दी जा रह वित्तीय सहायता की तुलना में पूर्णतया अनुकूल है क्योंकि आदिवासियों को वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है जब कि विस्थापित व्यक्तियों को दी गई वित्तीय सहायता का अधिकांश भाग ऋण के रूप में होता है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।